

अण्डमान तथा  
Andaman And



निकोबार राजपत्र  
Nicobar Gazette

सत्यमेव जयते

असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

Published by Authority

सं. 58, पोर्ट ब्लेयर, मंगलवार, 6 अप्रैल, 2021

No. 58, Port Blair, Tuesday, April 6, 2021

अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन  
उद्योग निदेशालय

अधिसूचना

पोर्ट ब्लेयर, दिनांक 6 अप्रैल, 2021 ।

सं. 54/2021/फाईल सं. 2-916/स्टार्टअप पोलिसी/पीएल/उद्योग/2019-20.- माननीय उप राज्यपाल, अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह एतद्वारा अण्डमान तथा निकोबार राजपत्रित अधिसूचना सं. 107/2020/फाईल सं. 2-916/स्टार्टअप पोलिसी/यो/उद्योग/2019-20 दिनांक 01.10.2020 की शीर्षक "अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह स्टार्टअप निधि एवं प्रोत्साहन योजना 2019" में निम्न संशोधन किया जाता है ।

1. प्रोत्साहन की पैकेज की अवधि व प्रारंभ शीर्षक की खंड 1 के वाक्य "यह प्रोत्साहन पैकेज का आरंभ अधिसूचना के प्रकाशन से प्रभावी होगा और 31 मार्च, 2021 तक वैध रहेगा । यदि संशोधित या निरस्त न किया जाए" को "यह प्रोत्साहन पैकेज का आरंभ 01.04.2021 से प्रभावी होगा और 31 मार्च, 2022 तक वैध रहेगा, यदि संशोधित या निरस्त न किया जाए" से बदला जाता है ।
2. अनुपूरक खंड 8: वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय के उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डी.पी.आई.आई.टी) द्वारा स्टार्टअप को परिभाषित किए अनुसार और समय-समय पर डी. पी. आई. आई. टी. द्वारा अद्यतन किए गए व वेबसाइट [www.startupindia.gov.in](http://www.startupindia.gov.in) पर दिए अनुसार होगा ।

उप राज्यपाल, अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के नाम और आदेश से,

ह./-  
(आदित्य कुमार झा)  
उद्योग निदेशक